मु.नं.–23 / 2021 GCMS ID-2021/37 ता.रजु–04.03.2021 (3)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा, निवासी पालों की हटरिया, छतपाड़ा, करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–24.03.2021

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) डीलर श्री त्रिलोक चंद गुप्ता पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति, (2) अपीलार्थी को एफ.पी.एस. डीलर श्री विष्णु चंद गुप्ता वार्ड नं. 15 करौली से उनका बकाया 2865 किलोग्राम गेंहू एवं 6.58 किलोग्राम चीनी नहीं दिलवाये जाने का कारण एवं शीघ्र दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है, आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद / आरटीआई / 2021 / 1173 दिनांक 15.03.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 7944 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रेषित कर दी गई है। पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।
6. अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि एफ.पी.एस. डीलर श्री विष्णु चंद गुप्ता पर उनका 2865 किलोग्राम गेंहू एवं 6.58 किलोग्राम चीनी बकाया थी जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है जबकि उनके विरुद्ध हुई शिकायत की जांच में उक्त सामग्री को शामिल किया गया था। उक्त राशन डीलर द्वारा उक्त सामग्री अपीलार्थी को हस्तांतरित नहीं की गई थी जिसके विषय में प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी जो प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अतः उन्हें सूचना दिलवायी जावे।
7. प्रत्यर्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में उक्त राशन डीलर पर किस कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः सूचना नहीं दी जा सकी। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का कथन किया है।
8. अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया था लेकिन अब प्रत्यर्थी को चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने के लिये प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाना हम उचित समझते हैं।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करावें।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली